न्यायालय,समाहर्त्ता,अररिया

अधिहरण वाद संख्या-420/2020

अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

(1) श्री उदय कुमार, पिता-श्री नथुनी राम,
सा0-सुजावलपुर, वार्ड नं0-01,
थाना-ढोली सकरा, जिला-मुजफ्फरपुर (वाहन चालक)

(2) श्री विशाल वर्मन, पिता-हराजन वर्मन,
सा0-विधान नगर, वार्ड नं0-02, थाना-कसीदवा,
जिला-दार्जलिंग (पश्चिम बंगाल)

(3) श्री सुमन पाल, पिता-राम प्रसाद पाल
सा0-विधान नगर, वार्ड नं0-02, थाना-कसीदवा
जिला-दार्जलिंग

(4) श्री सुरेन्द्र राय, पिता-नथुनी राय
सा0-सुजवालपुर, वार्ड सं0-01, साकरा, औराही,
जिला-मुजफ्फरपुर, पिन कोड-843105
(मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन सं0- BR06GD1331,
ईंजन सं0-4SPCR10DRY621440,
चेसीस सं0-MAT464607JSD05814 का मालिक) ....विपक्षीगण

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
24.09.2020	इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 824/ हि0शा0, दिनांक 19.04.2019) के आलोक में अररिया (बैरगाछी ओ0पी0) थाना कांड संख्या-156/20, दिनांक-21.02.2020, धारा-30(क)/38 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त Tata Xenon Yodha Eco रजिस्ट्रेशन सं0-BR06GD1331, ईजन सं0-4SPCR10DRY621440, चेसीस सं0-MAT464607JSD05814 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। विपक्षियों को जवाब दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गई। विपक्षी संख्या-04 सुरेन्द्र राय की ओर से अररिया(बैरगाछी) थाना कांड संख्या-156/20, दिनांक 19.02.2020 में जब्त वाहन की विमुक्ति हेतु दिनांक-24.09.2020 को कारण-पृच्छा-सह-लिखित जवाब दाखिल किया गया। (2) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया श्री रामानंद मंडल एवं विपक्षी सं0-4 के विद्वान अधिवक्ता श्री गोपाल प्रसाद को सुना। पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 824/हि0शा0, दिनांक-19.04.2019), विपक्षी सं0-04 का कारण-पृच्छा-सह-लिखित जवाब दिनांक 24.09.2020 एवं संलग्न अन्य कागजातों का अवलोकन किया। (3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का मुख्य कथन है कि सहायक अवर निरीक्षक, बैरगाछी ओ0पी0 द्वारा सशस्त्र बल के साथ दिनांक-21.02.2020 को रात्री गश्ती के कम में भारतीय स्टेट बैंक, शाखा बैरगाछी के समीप चार चक्का पिक अप रजिस्ट्रेशन संख्या-BR06GD-1331, चेचिस संख्या-MAT464607JSD05814, ईजन संख्या-4SPCR10DRY621440, का दो स्वतंत्र साक्षी-1. रईश अहमद, पिता-स्व0 तजमुल, सा0-वार्ड नं0-03, थाना-अररिया बैरगाछी, जिला-अररिया एवं 2. अब्दुल रज्जाक, पिता-स्व0 वाजुउद्दीन, सा0-भंगिया, वार्ड नं0-11, थाना-अररिया बैरगाछी, जिला-अररिया के समक्ष तलाशी ली गई। तलाशी के कम में 1. रॉयल स्टेग 375 एम0एल0 48 कार्टुन प्रत्येक कार्टुन में 20 पीस, 2. एमपीयर ब्लू 375 एम0एल0 आठ कार्टून प्रत्येक कार्टून-24 पीस, 3. रॉयल स्टेग 750 एम0एल0 कुल-21	

अधिहरण वाद संख्या-420/2020

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
24.09.2020	कार्टुन प्रत्येक कार्टुन में 12 पीस, 4. रॉयल स्टेग 375 एम0एल0 एक कार्टुन में 24 पीस शराब बरामद हुआ। बरामद शराब एवं वाहन को विधिवत् जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया। विपक्षियों के विरूद्ध अररिया(बैरगाछी) थाना कांड संख्या-156/2020,दिनांक-21.02.2020, धारा-30(क)/38 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम दर्ज किया गया। विपक्षीगण द्वारा जब्त वाहन का उपयोग अवैध शराब को ढ़ोने के लिए किया गया है। उनकी प्रार्थना है कि विपक्षी सं0-04 के कारण-पृच्छा-सह-लिखित जवाब दिनांक-24.09.2020 को अस्वीकृत किया जाय तथा जब्त **Tata Xenon Yodha Eco** रजिस्ट्रेशन सं0-**BR06GD1331**, ईजन सं0-**4SPCR10DRY62 1440**, चेसीस सं0-**MAT464607JS-D05814** को राजसात किया जाय। (4) विपक्षी सं0-04 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का मुख्य कथन है कि विपक्षी सं0-04 जब्त वाहन का वास्तविक मालिक है। वाहन से संबंधित आवश्यक कागजात विपक्षी सं0-04 के पास उपलब्ध है। विपक्षी ने उपस्थित होकर कारण पृच्छा-सह-लिखित जवाब दाखिल किया है। जब्त कथित शराब से विपक्षी सं0-01 को कोई संबंध सरोकार नहीं है। वास्तविकता यह है कि दिनांक-19.02.2020 को विपक्षी संख्या-04 (वाहन मालिक) ने जब्त पीकअप वाहन को भाड़ा के उद्देश्य से सब्जी, अदरक आदि के कार्य हेतु विपक्षी सं0-01 (वाहन चालक) को दिया था। विपक्षी सं0-01 ने विपक्षी सं0-04 की सहमति के बगैर बंगाल जाकर केला एवं अवैध-शराब कुल-70 कार्टुन लाद लिया। उक्त गाड़ी दिनांक 20.02.2020 को अररिया (बैरगाछी) पुलिस द्वारा अररिया, बैरगाछी चौक पर जाँच के क्रम में शराब एवं केला सहित जब्त कर ली गई। विपक्षी सं0-01 को गिरफ्तार कर लिया गया। यह सारी घटनायें विपक्षी सं0-01 द्वारा विपक्षी सं0-04 की जानकारी, ज्ञान वो सहमति से नहीं की गई। विपक्षी सं0-01 को विशेष न्यायाधीश, उत्पाद अधिनियम, अररिया से जमानत मिल चुकी है और वह वर्तमान में जमानत पर है। विपक्षी सं0-04 के विद्वान अधिवक्ता का आगे कहना है कि विपक्षी सं0-04 शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति है। जब्त पीक अप वाहन ऋण पर लेकर विपक्षी सं0-01 द्वारा चलवाकर किसी तरह अपना एवं अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहा था। जब्त वाहन पर अभी ऋण बकाया है, जिसके कारण विपक्षी सं0-04 एवं इनका पूरा परिवार काफी मानसिक रूप से परेशान है। वाहन मालिक ने जानबूझकर अपनी गाड़ी को शराब के अवैध धंधा में सम्मिलित नहीं किया है। सारा अपराध वाहन चालक (विपक्षी सं0-01) द्वारा किया गया है। जब्त मोटर साईकिल अररिया (बैरगाछी ओ0पी0) थाना परिसर में खुले आसमान के नीचे खड़ी है। मोटर साईकिल खराब हो रही है। विपक्षी सं0-04 निर्दोष है। उनकी प्रार्थना है कि कारण-पृच्छा-सह-लिखित जवाब को स्वीकार करते हुए जब्त **Tata Xenon Yodha Eco** को सशर्त औपबंधिक विमुक्त करने का आदेश दिया जाय। (5) उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के कथनों एवं तर्कों पर सम्यक् विचार तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 824/हि0शा0, दिनांक 19.04.2020), कारण-पृच्छा-सह-लिखित जवाब दिनांक 24.09.2020 एवं संलग्न अन्य कागजातों के अवलोकन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि अररिया (बैरगाछी ओ0पी0) थाना कांड संख्या-156/2020,दिनांक-21.02.2020, धारा-30(क)/38 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में बरामद शराब एवं **Tata Xenon Yodha Eco** को सहायक अवर निरीक्षक, बैरगाछी ओ0पी0 थाना द्वारा विधिवत् जब्त किया गया है। जब्त **Tata Xenon Yodha Eco** का उपयोग एमपायर ब्लु 375 एम0एल0 45 कार्टून प्रति कार्टून में 20 पीस, 2. एमपायर ब्लु 375 एम0एल0 08 कार्टून प्रत्येक कार्टून में 24 पीस अर्थात 1364 बोतल मात्रा 511 लीटर 500 मिली लीटर, 03. रॉयल स्टेग 750 एम0एल0 कुल-21 कार्टुन, प्रत्येक कार्टुन में 12 पीस अर्थात 257 बोतल मात्रा 189 लीटर, तथा 5. रॉयल स्टेग 375एम0एल0 एक कार्टून में 24 पीस अर्थात 09 लीटर शराब को	

अधिहरण वाद संख्या-420/2020

<table>
<tr><th>आदेश की कम संख्या और तारीख</th><th>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर</th><th>आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)</th></tr>
<tr><td>24.09.2020</td><td>व्यावसायिक उद्देश्य से ढ़ोने में किया गया है। जब्त Tata Xenon Yodha Eco को विमुक्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। विपक्षी सं0-04 का कारण-पृच्छा-सह-लिखित जवाब दिनांक-24.09.2020 मनगढ़ंत एवं गलत है तथा अस्वीकृत होने योग्य है। बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-56(ख) के अंतर्गत जब्त वाहन राजसात होने योग्य है। तदनुसार विपक्षी के कारण-पृच्छा-सह-लिखित जवाब दिनांक-24.09.2020 को अस्वीकृत किया जाता है तथा अररिया (बैरगाछी ओ0पी0) थाना कांड संख्या-156/2020, दिनांक-21.02.2020, धारा-30(क)/38 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त Tata Xenon Yodha Eco रजिस्ट्रेशन सं0-BR06GD1331, ईंजन सं0-4SPCR10DRY621440, चेसीस सं0-MAT464607JSD05814 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत राजसात(Confiscate) किया जाता है। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु उत्पाद मद्यनिषेध, अररिया तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया को प्रेषित करें।

विपक्षी (वाहन मालिक) यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरूद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दाखिल कर सकते हैं।

उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित
समाहर्त्ता, अररिया

समाहर्त्ता, अररिया

ज्ञापांक 2050/विधि, अररिया, दिनांक 5.10.2020
प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

समाहर्त्ता, अररिया</td><td></td></tr>
</table>